[2008] 1 एस. सी. आर. 917

मेसर्स बिहार कॉस्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड

बनाम

कृपा पांडे

(2001 की दीवानी अपील सं. 1389)

18 जनवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, न्यायमूर्तिगण)

श्रम कानूनः

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; धारा 2(एस) एवं 10:

सेवा समाप्ति—ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार, जो अपीलकर्ता कंपनी की सेवा कर रहा था—कंपनी द्वारा कर्मकार की सेवाओं की समाप्ति—निर्णीत, अपीलकर्ता का यह विशिष्ट रुख कि उत्तरदाता उसका कर्मचारी नहीं बल्कि ठेकेदार का कर्मचारी था, न तो श्रम न्यायालय द्वारा और न ही उच्च न्यायालय द्वारा, संबंधित कर्मकार की पुनर्नियुक्ति का आदेश देते समय विचार में लिया गया—चूँकि कर्मकार की पुनर्नियुक्ति हो चुकी है और वह पश्चात सेवानिवृत्त भी हो गया है, न्याय के हित में यह उचित होगा कि उसे श्रम न्यायालय के निर्णय के अनुसार केवल 50% बकाया वेतन का भुगतान किया जाए—आवश्यक निर्देश जारी—संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970—श्रम का नियोजन।

उत्तरदाता के अनुसार, वह अपीलकर्ता के कारखाने में एक निश्चित अवधि से लगातार काम कर रहा था और कथित तौर पर अपीलकर्ता कंपनी द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। विवाद को निर्णय के लिए श्रम न्यायालय में भेजा गया। श्रम न्यायालय ने माना कि संबंधित कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति अवैध और अनुचित थी; और उत्तरदाता दावा दायर करने की तिथि से बहाली और बकाया वेतन पाने का हकदार है। कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने खारिज कर दी थी। लेटर्स पेटेंट अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने खारिज कर दी थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अपील के लंबित रहने के दौरान उत्तरदाता को 6.3.2006

को बहाल कर दिया गया तथा वह सेवानिवृत्त हो गया; तथा बकाया वेतन के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश उचित नहीं था।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाता के ठेकेदार का कर्मचारी होने के बारे में अपीलकर्ता के विशिष्ट रुख पर श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया, सामान्यतः यह न्यायालय इस पहलू पर विचार के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज देता। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बहाली के बाद भी, उत्तरदाता सेवानिवृत्त हो चुका है, न्याय तभी सर्वोत्तम होगा जब श्रम न्यायालय के निर्णय के अनुसार बकाया वेतन का 50% उत्तरदाता को दिया जाए। यदि बकाया वेतन के रूप में पहले ही कोई भुगतान किया जा चुका है, तो उसे इस आदेश के अनुसार देय राशि से समायोजित किया जाएगा। (कंडिका - 9) [921-ए-सी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2001 की दीवानी अपील संख्या 1389

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 484/1999 (आर) में पटना उच्च न्यायालय, रांची पीठ, रांची के दिनांक 29.6.2000 के निर्णय और अंतिम आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से अशोक ग्रोवर, प्रवीण कुमार।

उत्तरदाता के लिए आर. आर. दुबे, पवन उपाध्याय, संतोष मिश्रा, शिव मंगल शर्मा, रोहित यादव, शुभ्रा गोयल और शर्मिला उपाध्याय।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत** द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है। लेटर्स पेटेंट अपील में उक्त उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय में, संदर्भ वाद संख्या 41/85 में श्रम न्यायालय, रांची के फैसले को चुनौती दी गई थी। उत्तरदाता ने अन्य बातों के अलावा, अवैध बर्खास्तगी का आरोप लगाते हुए विवाद उठाया था। उसके अनुसार, वह 1.8.1983 से 12.8.1984 तक लगातार अपीलकर्ता के कारखाने में काम कर रहा था और उसे 21.9.1984 को बिना किसी कारण के सेवा से हटा दिया गया था। निम्नलिखित विवाद को निर्णय के लिए श्रम न्यायालय को भेजा गया था:

"क्या प्रबंधन द्वारा श्री कृपा पांडे, चालक की सेवाओं की समाप्ति उचित और न्यायोचित है? यदि नहीं, तो क्या वह बहाली और/या किसी अन्य अनुतोष का हकदार है।"

2. उपर्युक्त संदर्भ दिनांक 1.11.1985 की अधिसूचना द्वारा किया गया था। श्रम न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता का यह पक्ष था कि 1981 से 1984 की अवधि के दौरान, जब अपीलकर्ता का कारखाना निर्माणाधीन था, उसने कारखाने के निर्माण हेतु विभिन्न कार्यों के लिए मेसर्स मिश्रा ब्रदर्स सहित कई ठेकेदारों को नियुक्त किया था। उपरोक्त अवधि के दौरान, उक्त ठेकेदार, जिसे ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (संक्षेप में 'ठेका श्रम अधिनियम') के प्रावधानों के तहत 13.3.1982 के लाइसेंस विलेख द्वारा ठेका श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था, ने उत्तरदाता को ट्रैक्टर चालक के रूप में नियुक्त किया। अपीलकर्ता का यह मामला था कि उत्तरदाता किसी भी समय अपीलकर्ता का कर्मचारी नहीं था और उनके बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं था। अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाता को कभी कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उत्तरदाता को ठेकेदार से वेतन मिलता था। 1984 में निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद अपीलकर्ता को ठेकेदार की सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी और बदले में ठेकेदार को भी उसके द्वारा नियुक्त उत्तरदाता सहित अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी।

3. श्रम न्यायालय के समक्ष दायर लिखित बयान में उपरोक्त दलील दी गई और कहा गया कि उत्तरदाता औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 2(एस) के अंतर्गत कामगार नहीं है और इसलिए, दिया गया संदर्भ कानूनन स्वीकार्य है। श्रम न्यायालय के समक्ष ठेकेदार से भी पूछताछ की गई और उसने कहा कि उत्तरदाता उसके अनुबंध के तहत काम कर रहा था और वह उसके द्वारा नियोजित था और इसलिए, उसने उसे मजदूरी का भुगतान किया। प्रवेश पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि वह ठेकेदार का कर्मचारी था।

4. श्रम न्यायालय ने माना कि बर्खास्तगी अवैध और अनुचित थी और उत्तरदाता दावा प्रस्तुत करने की तिथि अर्थात 28.11.1985 से बहाली और बकाया वेतन पाने का हकदार है।

5. उच्च न्यायालय में विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की गई थी और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया था। खंडपीठ ने लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया।

6. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरदाता के ठेकेदार द्वारा नियोजित होने के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलील पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है और दलील पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान करने और स्थगन को बकाया वेतन के भुगतान तक सीमित रखने के बाद, उत्तरदाता को 21.3.2001 को बहाल कर दिया गया और 6.3.2006 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। अपने मामले के अनुसार, उसे 400 रुपये प्रति माह मिल रहे थे। यह अविश्वसनीय है कि वह कहीं और नियोजित नहीं था। इसके अलावा, रिट याचिका और लेटर्स पेटेंट अपील के लंबित रहने के दौरान, धारा 17-बी के अनुसार भुगतान किया जा रहा था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बकाया वेतन का निर्देश उचित नहीं है।

7. दूसरी ओर, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलकर्ता द्वारा यह दलील दिए जाने पर कि उत्तरदाता लाभकारी रूप से कार्यरत था, जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तरदाता लाभकारी रूप से कार्यरत नहीं था।

8. कुछ तिथियों पर ध्यान देना आवश्यक है।

संदर्भ की तिथि 1.11.1985 है और मामला श्रम न्यायालय द्वारा 20.11.1985 को पंजीकृत किया गया था। निर्णय दिनांक 28.7.1989 का है। यह 30.10.1989 को प्रकाशित हुआ। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका 7.10.1999 को खारिज कर दी और लेटर्स पेटेंट अपील 29.6.2000 को खारिज कर दी गई।

9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाता के ठेकेदार का कर्मचारी होने के बारे में अपीलकर्ता के विशिष्ट रुख पर श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया, सामान्यतः हम इस पहलू पर विचार के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज देते। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बहाली के बाद भी, उत्तरदाता सेवानिवृत्त हो चुका है, न्याय की सर्वोत्तम पूर्ति तभी होगी जब श्रम न्यायालय के निर्णय के अनुसार बकाया वेतन का 50% उत्तरदाता को दिया जाए। यह भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाएगा। यदि बकाया वेतन के रूप में कोई भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो उसे इस आदेश के अनुसार देय राशि से समायोजित किया जाएगा।

10. अपील को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है, तथा लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

एसकेएस. अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।